

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/2018

वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी गली नं01 पुरानी आबादी वार्ड नं06 श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यारेआम मुकेश बंजीवाल पुत्र ओमप्रकाश जाति, जाट निवासी चक 24 ए एस सी वार्ड नं.16 नई मंडी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. जीतसिंह पुत्र अचरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 वार्ड छोटी पुरानी आबादी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 नू-राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन घडसाना
मु0अनूपढ दिनांक 30.06.82
उपस्थिति:-

श्री मोहनलाल पूनिया, अभिमाधक अपीलार्थी
श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन घडसाना मुकाम अनूपगढ ने अपीलार्थी को दिनांक 18.06.1976 को 20.10 बीघा भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए दिनांक 02.07.1981 को चक 9 जैड डब्लू एम के मुन. 169/37 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन को दिनांक 30.06.1982 को इस आधार पर खारिज कर



24/5/18
राजस्व जरिये अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिया कि आवंटी द्वारा बावजूद सूचना प्राप्त किये कब्जा प्राप्त नहीं किया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमां में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस की कोई तामील नहीं हुई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अन्यथा वैकल्पिक आवंटन करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात् विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जिसकी सूचना समाचार पत्र में दी गई। उसके बावजूद भी आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.06.1982 के विरुद्ध दिनांक 14.02.2018 को पेश की है। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोंडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि सार्वजनिक सूचना दैनिक सीमा संदेश के माध्यम से दिनांक 28.05.1982 को जारी करवाई गई, किन्तु समाचार की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, न ही इस संबंध में आदेशिका में कोई इसका उल्लेख है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण या उनके पिता को होना संभव नहीं है। अतः विलम्ब को माफ किया जाना न्यायोचित है।




24/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीमंगलपुरा (राज.)



विवादित भूमि किसी अन्य को आवंटन हो चुकी होगी। अपीलान्त का भी ऐसा कथन नहीं है कि उसका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त हो। इसके अलावा अपीलान्त के पिता को विवादित भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए ही विवादित भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त पात्रता किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण वैकल्पिक आवंटन का मानते हुए विधि अनुसार अपीलान्त की पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


24/5/18
(प्रेमराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर